Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

22/5/15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–33 / 2016

आयोध्या राय पे0–जय नारायण राय — आवेदक
गोपाल राय पे0–गाजो राय, ग्राम–बटपार,
अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

बनाम

1. लाल मोहन टुडु, पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी प्रथम पक्ष
2. मोहन टुडु, पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी द्वितीय पक्ष
3. रसीका टुडु, पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी तृतीय पक्ष
4. वरजु टुडु, पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी चतुर्थ पक्ष
5. विनोद टुड, पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी पंचम पक्ष
6. करचु टुडु, पे0–स्व0 दासो टुडु — विपक्षी छः पक्ष
7. मुनेश्वर टुडु पे0–स्व0 चुडका टुडु — विपक्षी सप्तम् पक्ष

सभी साकिन–करमा कोला, अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

आदेश

आयोध्या राय पे0–जय नारायण राय, गोपाल राय पे0–गाजो राय, ग्राम–बटपार, अंचल–चकाई, जिला–जमुई के द्वारा के विपक्षियों के नाम कायम जमाबन्दी सं0–178 को रद्द कराने के वावत लाया गया है। बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–08 (1) अन्तर्गत लाया गया है।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	ग्राम / थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
चकाई	बाराकोला, 49 / 9	76	937 945	1.20 ए0 2.30 ए0	178
कुल				3.50 ए0	

आवेदकगण का कहना है कि प्रश्नगम भूमि नीलकण्ठ सिंह पे0–भोखो सिंह, साकिन–बटपार से केवाला सं0–12157 दिनांक–5.11.1964 से प्राप्त किए। दाखिल खारिज वाद सं0–79 / 65–66 के द्वारा जमाबन्दीसं0–68 उनके पक्ष में कायम हुई। साक्ष्य के रूप में पंजी 27 का अभिप्रमाणित प्रति की छाया–प्रति आवेदक के द्वारा दाखिल की गई है।

आवेदक ने दाखिल कब्जा के संबंध में अंचल अधिकारी, चकाई का 17.03.2016 का जॉच प्रतिवेदन संलग्न किया है। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि स्थल जॉच में प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा पाया गया है।

आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का एक केवाला विपक्षी के पक्ष में भी उनके भूमि के बिक्रेता नीलकण्ठ सिंह पे0–भीखों सिंह के द्वारा दिनांक–

08.10.1963 में किया गया था, जिसका केवाला सं0–10157 है। उक्त केवाला के विक्रेता (Vendor) ने कैसिलनामा दस्तावेज 12154 दिनांक–05.11.1964 से रद्द कर दिया। विपक्षी के पक्ष में की गई केवाला कभी Operative नहीं रहा। विपक्षी का कभी दखल कब्जा नहीं रहा।

दखल–कब्जा के संबंध में आवेदक द्वारा हल्का कर्मचारी राम कृष्ण शर्मा का दिनांक–11.09.1975 का जॉच प्रतिवेदन की छाया–प्रति दाखिल की गई है। जॉच प्रतिवेदन में विपक्षी के केवाला को In Operative यानि दखल कब्जा नहीं होता बताया गया है।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी इसी रद्द In Operative केवाला के आधार पर अंचल में प्रश्नगत भूमि का अपने पक्ष में दाखिल खारिज करने का आवेदन दिया, जिसे दाखिल खारिज वाद सं0–133/75–76 के द्वारा केवाला के In Operative होने, दखल कब्जा नहीं होने के कारण दिनांक–11.09.1975 को अस्वीकृत कर दिया गया। साक्ष्य के रूप में आदेश फलक के सच्ची प्रतिलिपि की छाया–प्रति एवं पंजी–8 की छाया–प्रति दाखिल की गई है। पंजी–8 के क्रमांक 133/हल्का–2 पर दाखिल खारिज "अस्वीकृत" उल्लेखित है।

आवेदक का कहना है कि जब एक बार विपक्षी का प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल खारिज अस्वीकृत हो गया है तो विपक्षी को अपील में जाना चाहिए था। मगर विपक्षी ने तथ्य को छुपाकर रद्द केवाला 10157 दिनांक–08.10.1963 के आधार वर्ष 2009 में दाखिल खारिज के लिये पुनः आवेदन दिया। आवेदक को बिना सूचना दिये वाद सं0–67/6 वर्ष 2009–10 से जमाबन्दी सं0–178 कायम करवा ली।

आवेदक का कथन है कि दखल कब्जा उनका है। In Operative केवाला पर दाखिल खारिज के समय दिनांक–11.09.1975 को भी आपत्ति दर्ज किए थे। तत्पश्चात् विपक्षी का आवेदन रद्द हुआ था। आवेदक के अनुसार जमाबन्दी सं0–178 In Operative केवाला तथा Bihar Tenant holding maintenance act 1973 के धारा 14(2) के उल्लंधन में स्थापित किया गया है। साथ ही एक भूमि की दो जमाबन्दी नहीं चल सकती है।

अतएव स्थापित नियम के विरूद्ध सृजित जमाबन्दी सं0–178 को रद्द करने का अनुरोध आवेदक द्वारा किया गया है।

आवेदक के दावा के विरूद्ध विपक्षी का कहना है कि उनका केवाला पूर्व का है। उन्होनें दिनांक–08.10.1963 को प्रश्नगत भूमि क्रय किए है वहीं आवेदक 06.11.1964 को उसी विक्रेता से भूमि प्राप्त किये है जिससे वे प्राप्त किए है। विपक्षी के द्वारा संबंध में Transfer of Property act की धारा 48 का हवाला दिया गया है कि "वाद" में किया गया केवाला शून्य होगा।

विपक्षी का यह भी कहना है कि Sub-Judge-1st Jamui के यहाँ एक Title Suit 208/2015 लंबित है जिसमें आवेदक उपस्थित नहीं हो रहे है। सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से यह वाद लाया गया है।

विपक्षी का दावा है कि CRPC 144 अन्तर्गत पुलिस ने उनका दखल कब्जा पाया है। उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं अंचल अधिकारी, चकाई के द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया।

1. अंचल अधिकारी, चकाई का पत्रांक–268 दिनांक–29.03.2016 द्वारा दखल कब्जा के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

2. जय नारायण सिंह वगैरह के पक्ष में वाद सं0–79/65–66 से सृजित जमाबन्दी सं0–68 से संबंधित पंजी–27 की अभिप्रमाणित प्रति।

A Home Jud

3. चुरका टुड्डु पे0 खाकु टुड्डु के द्वारा वाद सं0–133/75–76 के आलोक में पंजी–8 की अभिप्रमाणित प्रति।
4. कैसिलनामा डीड की हिन्दी प्रति की छाया–प्रति।
5. विपक्षी द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई दाखिल खारिज वाद सं0–133/75–76 आदेश की छाया–प्रति।
6. संबंधित वाद में हल्का कर्मचारी राम कृष्ण शर्मा का दिनांक–11.09.1975 का जॉच प्रतिवेदन
7. नीलकण्ठ सिंह पे0–भीखारी सिंह के नाम कायम जमाबन्दी सं0–20 से संबंधित पंजी–2 की छाया–प्रति।
8. जमाबन्दी सं0–178 एवं 68 से संबंधित पंजी–2 की छाया–प्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिक्तागण को सुना। दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

दाखिल खारिज वाद सं0–133/75–76 से संबंधित कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित केवाला के आधार पर विपक्षी का दाखिल खारिज आवेदन पूर्व में ही अस्वीकृत किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील में नहीं जाकर नियम विरूद्ध पुनः आवेदन देकर कपटपूर्वक जमाबन्दी सं0–178 का सृजन करवा लिया है। जमाबन्दी सं0–178 के सृजन के समय जमाबन्दी सं0–68 के रैयत को "खास" सूचना देना अपेक्षित था। दाखिल खारिज वाद सं0–67/6 वर्ष 2009/10 के संदर्भ में विपक्षी के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि जमाबन्दी सं0–68 के जमाबन्दी रैयत को कोई खास सूचना दी गई हो। खास सूचना निर्गत नहीं दिया जाना The Bihar Tenant's holding (Maintenance of records)act 1973 की धारा 14(2) उल्लंधन प्रतीत होता है।

आवेदक या विपक्षी के पक्ष में निष्पादित केवाला के वैधता का प्रश्न है। इसकी जॉच हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। विभिन्न जॉच प्रतिवेदनों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का प्रश्नगत केवाला के आलोक में कभी दखल कब्जा नहीं रहा है।

उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार विपक्षी के जमाबन्दी को रद्द करें। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ मालिक किस्म का है। अतएव इस आदेश से आवेदक की जमाबन्दी के सृजन को सम्पुष्ट नहीं किया जाता है। अपितु उनके द्वारा आवेदन पत्र में विपक्षी के जमाबन्दी के संबंध में उठाये गये बिन्दु मात्र को स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई 22/5/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई 22/5/18

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 532 /रा0, दिनांक– 26.05.2018

प्रतिलिपि–विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, चकाई/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता, जमुई।